(208)

समक्षः- माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर, शिविर सागर म०प्र०
= = == R 4181-I-16

शैलेष केशरवानी तनय बसंत कुमार केशरवानी
निवासी- ग्रामगढौली, खुर्द, तह० व जिला सागर म०प्र०
.. आवेदक

श्री आर. एस. ठाकुर अधिवक्ता द्वारा आज प्रस्तुत R 29/11/16

// विरूद्ध //

श्रीमति शकुन्तला साहू पत्नि गोविंद प्रसाद साहू
निवासी- कटरा बाजार, सिंडीकेट बैंक के पास, सागर
.. अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959
- -

उपरोक्त आवेदक न्यायालय तहसीलदार महोदय, सागर के
आदेश दिनांक 24.10.2016 रा०प्र०क्र० 424अ/6 वर्ष 2013-14 से परि-
वेदित होकर निम्नलिखित आधारो पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है-

1:- यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम गढौली, तह० सागर की भूमि
ख०नं० 108/1 क्षेत्र[illegible] 288 वर्गफुट भूमि दिनांक 26.12.2003 को रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद कर राजस्व अभिलेख में नामांतरण [illegible] हेतु
चाहा है।

2:- यहकि, आवेदक द्वारा आपत्ति पेश कर नामांतरण का विरोध
किया है, उसी प्रकरण में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-340
जा० फौ० का पेश कर आग्रह किया कि अनावेदक द्वारा असल विक्रय पत्र
प्रस्तुती के संबंध में मिथ्या शपथ पत्र, पेश कर कि असल विक्रय पत्र गुम जाने
का तथ्य प्रगट किया है, जबकि असल बैनामा अनावेदक यूनियन बैंक आॅफ
इंडिया के आधिपत्य में रखा है। उसने जानबूझकर झूठा शपथ पत्र पेश कर
न्यायालय को गुमराह किया है।

3:- यहकि, अनावेदक द्वारा विवादित भू- खण्ड पर नाम दर्ज
करने के संबंध में पूर्व में आवेदन पत्र पेश कर विवादित भूखण्ड पर राजस्व
अभिलेख में नाम दर्ज किया जावे। रा०प्र०क्र० 521अ/6 वर्ष 2011-12 प्रकरण
खारिज दिनांक 17.07.14 को इस निर्देश के साथ किया कि अनावेदक
... नामांतरण आवेदन पत्र में ना होने से प्रकरण पुनः पेश किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4181-एक/2016 जिला सागर

शैलेष विरूद्ध शकुन्तला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 424/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालयं में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 08/3/19 सदस्य	